

FORM NO. III

फर्दअहकाम




(नियम- 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी/वादीगण मंगलाराम पुत्र वगताराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण 1 घेवरचन्द पुत्र वगताराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (2) 3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
--	------	--

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:- 08/2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.01.2026	<p>वादी मंगलाराम की ओर से वकील श्री महावीरसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी घेवरचन्द वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.02.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना </p>	
29.01.2026	<p>वादी प्रथम वादी वकील के जर्घना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी वकील के जर्घना पत्र प्रस्तुत कर त्रिवेदा किया छि वादग्रह आराजी को केन्द्र वादी व प्रतिवादीगण के प्रथम लोक अदालत की आषा से यजीनाया छे जपा हैं। अर: वादी का वाद रिखतल रिजर्व रखते हुए वाद जरिये विज्ञे ख्यारिज फरमाये।</p> <p>हमने वादी आधिबन्ग द्वारा प्रस्तुत जर्घना पत्र व पत्रावली का अपलोकेन किया जपा। वादी आधिबन्ग द्वारा प्रस्तुत जर्घना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को नया वाद प्रस्तुत करने के एक को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद जरिये विज्ञे ख्यारिज किया जात हैं।</p> <p>पत्रावली जेमल अमार चेकर दाखिल कर दी।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना </p>	<p style="text-align: center;">  अ.क. मंगलाराम पहचानकर्ता गधवीर </p>

